संख्या: 371/2016/1476/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 11 नवम्बर,2016

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अलीगढ़ में सड़क निर्माण से संबंधित निम्नांकित कार्यों की उनके सामने इंगित विवरण के अनुसार शासनादेश संख्या-330/2016/1307/35-4-2016 दिनांक 27 सितम्बर,2016 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की गई है:-

(लाख रू.में)

	कार्य	लम्बाई कि.मी.	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	कासिमपुर वाया समैना कसेर मागे निमोण	3.80	258.82	25.88
2	रामघाट साकरा मार्ग से नगला मल्लाह एवं खेडिया सुजानपुर से होते हुये दीनापुर आश्रम तक मार्ग निर्माण	3.65	217.60	21.76
	योग		**476.42**	**47.64**

उक्त कार्यों में से क्रमांक-2 पर अंकित कार्य की लम्बाई टंकण त्रुटिवश-3.65 किमी. अंकित हो गई। इस कार्य की वास्तविक लम्बाई 3.00 किमी. है।

अत: उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-2 पर अंकित कार्य की लम्बाई 3.00 किमी. पढ़ी जाये। इस सीमा तक उक्त शासनादेश संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:371/2016/1476(1)/35-4-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण/नगर विकास ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, अलीगढ़।
7- जिलाधिकारी, अलीगढ़।
8- मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ़।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अलीगढ़।
14-अधिशासी अभियन्ता,लोनिवि,प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड-1, अलीगढ़।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।